सतत् विकास लक्ष्य और किसान

cecoedecon

MAUSAM

Pairvi

सतत् विकास लक्ष्य और किसान

अजय के. झा

जनवरी 2020

लेआउट : रजनीश

प्रकाशक : सिकोईडिकोन

स्वराज, एफ–159–160, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302022, राजस्थान

फोनः +91–141–2771488 / 2771855 / 3294834–36 | ईमेलः cecoedecon@gmail.com

वैबसाइटः www.cecoedecon.org.in

NATIONAL CONSULTATION WITH FARMERS ON LEAVING NO ONE BEHIND AND INDIA'S VOLUNTARY NATIONAL REVIEW (VNR) 2020 ON THE SDGs

24th January, 2020 | Swaraj, F-159-160, Sitapura Industrial and Institutional Area, Jaipur

Organized by ASHA Food . Farmers . Freedom, cecoedecon, MAUSAM, Pairvi in collaboration with WADA NA TODO

प्रस्तावना

सितंबर 2015 में दुनिया के देशों ने भूख और गरीबी को मिटाने, शांति और न्याय को सुनिश्चित करने और 2030 तक इस धरती को टिकाऊ बनाने के लिए एजेंडा 2030 (एसडीजी फ्रेमवर्क)[1] को अपनाया, जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने का महत्वाकांक्षी सिद्धांत शामिल था। एजेंडा 2030 किसी भी अन्य फ्रेमवर्क की तरह ही 'सबसे बढ़िया' फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन अब इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी दुनिया के देशों और लोगों पर है।

किसान दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। किसानों और ग्रामीण परिवारों की समृद्धि और बदलाव को बेहतर बनाने के प्रयास आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत, और पारिवारिक किसानों की स्थिरता न केवल दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टिकाऊ विकास के कई अन्य लक्ष्यों के हासिल करने के लिये भी यह जरूरी है। कृषि और खाद्य, टिकाऊ विकास के कई अन्य लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे- गरीबी उन्मूलन (एसडीजी 1), स्वास्थ्य (एसडीजी 3), शिक्षा (एसडीजी 4), महिला सशक्तिकरण (एसडीजी 5), जल और स्वच्छता (एसडीजी 6), समुचित कार्य (एसडीजी 8), असमानता (एसडीजी 10), एससीपी (एसडीजी 11), जलवायु परिवर्तन(एसडीजी 13) और पृथ्वी और स्थायी स्थलीय प्रणाली पर जीवन (एसडीजी15) आदि।

विकासशील देशों में अनुमानित 500 मिलियन छोटे किसान दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों में से हैं। 2019 की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट का अनुमान है कि विश्व स्तर पर 80 प्रतिशत अत्यधिक गरीब (1.50 डॉलर प्रति दिन

1 एसडीजी ढांचे में 17 लक्ष्य और 169 टारगेट शामिल हैं। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जल और स्वच्छता, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच, सतत् आर्थिक विकास और समुचित काम, स्थायी औद्योगिकीकरण, असमानता, टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न, जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक कार्रवाई, जलीय जीवन, पृथ्वी पर जीवन और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, शांति, न्याय और समावेशी समाज और जवाबदेह और पारदर्शी संस्थानों और कार्यान्वयन के साधन से संबंधित 250 से अधिक संकेतक शामिल हैं।

से कम पर रहने वाले) और 75 प्रतिशत अपेक्षाकृत गरीब (1.50 डॉलर से 3.2० डॉलर प्रति दिन पर रहने वाले) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से अधिकांश कृषि कार्य करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि छोटे किसान एशिया और उप सहारा अफ्रीका में खाद्य आपूर्ति का 80 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, वे दुनिया की सबसे कुपोषित और खाद्य असुरक्षित आबादी हैं। इसके अलावा, इन किसानों को अक्सर सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजनाओं, प्रौद्योगिकियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा जाता है जो इन समुदायों को जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट से निपटने में मदद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के अलावा, छोटे किसानों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा हैं और इससे उनकी आजीविका और बेहतरी के बदलाव को भी खतरा हैं। इनमें इनडोर वायु प्रदूषण, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के असुरक्षित उपयोग, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, जैव विविधता की हानि और रोगों के लिए उच्च जोखिम आदि शामिल हैं। इन चुनौतियों को सीमित स्वास्थ्य और पर्यावरण साक्षरता व बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमियों ने और बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, महिला किसानों को सशक्त बनाए बिना गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव होगा। उप सहारा अफ्रीका में महिलाएं 40 प्रतिशत कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि, कुछ देशों में कार्यबल में उनका योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ग्रामीण महिलाओं का योगदान और अधिक हो सकता है अगर इसमें घरेलू काम, खाद्य प्रसंस्करण और घर व जमीन के काम शामिल किए जाएं। इस तरह के काम अक्सर कृषि या कृषि से सम्बंधित अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होते। फिर भी, विभिन्न प्रकार की सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण, महिला किसान पुरुषों की तुलना में 20-30 प्रतिशत कम उपज देती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के सामान ज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऋण की समान पहुंच हो, तो वे खेत की पैदावार में लैंगिक समानता हासिल कर सकती हैं। जिससे संभावित रूप से भूखे लोगों की संख्या में भी लगभग 12-17 प्रतिशत की कमी हो सकती है। कम आय वाले घरों के बच्चों को बाल श्रम, शिक्षा की कमी और खतरनाक परिस्थितियों में काम करने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके मानव अधिकारों का हनन होता है और लाखों बच्चों के लिए भविष्य के अवसर कम होते हैं। आईएलओ का अनुमान है कि अधिकांश बाल श्रम (लगभग 60 प्रतिशत) कृषि में होता है। 2018 की एफएओ रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष

और जलवायु-जनित आपदाओं के कारण हाल के वर्षों में खेती में बाल श्रम एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है।

एसडीजी: भारत में किसान

भारत जब तक सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता है, दुनिया में इस लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है। भारत की 1.3 बिलियन की आबादी में 364 मिलियन बहुआयामी गरीब हैं जो कि एजेंडा 2030 के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे किसान भारत को सतत् विकास के लक्ष्य को हासिल करने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में 4 व्यक्तियों में से एक या तो किसान या फिर कृषि कार्यकर्ता है। छोटे और सीमांत किसान भारत के कुल कृषक परिवारों का 80 प्रतिशत, ग्रामीण परिवारों का 50 प्रतिशत और भारत में कुल घरों का 36 प्रतिशत हैं।

आजादी के बाद कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। किसानों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के बाद से हालांकि जीडीपी में योगदान में धीरे-धीरे गिरावट आई, किन्तु किसानों ने प्रभावशाली लाभ कमाया। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक (25 प्रतिशत वैश्विक उत्पादन), उपभोक्ता (वैश्विक खपत का 27 प्रतिशत) और आयातक (14 प्रतिशत वैश्विक आयात) है। भारत में 2017-18 में दूध उत्पादन 165 मीट्रिक टन रहा। यह दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। भारत जूट का भी सबसे बड़ा उत्पादक है और मवेशियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में ही है। यह चावल, गेहूं, गन्ना और कपास और मूंगफली के साथ ही फलों और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है।

हालाँकि, भारत में अभी भी कई चिंताएं हैं। खेती का जीडीपी में योगदान लगातार गिर रहा है। दुनिया के भूखे लोगों के एक चौथाई अभी भी भारत में हैं। यहाँ की 190 मिलियन आबादी अभी भी कुपोषित है, जिससे खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक चुनौती बना हुआ है। अभी भी लगभग 30 प्रतिशत की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है।

ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट (2016) के अनुसार 132 देशों में भारत 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नाटापन के मामले में 114 वें नंबर पर है। वहीं 130 देशों

में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निर्बलता के मामले में 120 वें स्थान पर है और एनीमिया के मामले में भारत 185 देशों में 170 वें रैंक पर है। एनीमिया देश के 50 प्रतिशत महिलाओं और 60 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करता है। भारतीय कृषि की संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता भी स्थिरता के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गई है। जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, मरुस्थलीकरण और भूमिक्षरण भी कृषि के लिए बड़े खतरे हैं।

कृशि और ग्रामीण संकट पिछले कुछ वर्षों में मुख्यधारा की बहस का हिस्सा बन गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार किसानों के विरोध प्रदर्शनों की संख्या 2014 में 628 थी जो कि 2016 में बढ़कर 4,837 हो गई। इससे किसानों की परेशानी, बदहाली और विस्थापन का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2018 में भी महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किसानों के कई विरोध प्रदर्षन हुए। किसानों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद, ऋण माफी और कृषि व किसानों पर एक अलग संसदीय सत्र आदि शामिल हैं।

कृषक समुदाय और उनकी चुनौतियां

किसानों के लिए कर्ज का बढ़ता दबाव सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है। एनएसएसओ के अनुसार, पिछले दशक के दौरान भारतीय किसानों का कर्ज लगभग 400 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि उनकी आय में 300 प्रतिशत की कमी आई है। बड़े कर्जदार किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश किसान गरीबी के शिकार हो गए हैं। किसान पहले अपनी जमीन पर खेती करते थे, फिर बिना जमीन के किसान हो गए, फिर खेतिहर मजदूर हो गए और आखिरकार खेती किसानी से पूरी तरह दूर हो गए। सरकार ने स्वीकार किया है कि 52 प्रतिशत कृषक परिवार कर्ज में डूबे हैं। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या के समाचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं।

महिलाओं पर खेती का बढ़ता दबाव भी चिंता का एक मुख्य विषय है। आजीविका के लिए ज्यादातर पुरुषों का पलायन शहरों की ओर हो जाने के बाद महिलाओं पर खेती का भी काम करने का दबाव बढ़ गया है। महिलाओं को घर के कामों और बच्चों व बुजुर्गों की देख-रेख के साथ-साथ न केवल खेती का काम करना

पड़ रहा है, बल्कि अतिरिक्त आय का भी इंतजाम करना पड़ता है। संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री के एक बयान के अनुसार, कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32 प्रतिशत है, जबकि कुछ क्षेत्रों- पहाड़ी राज्यों, उत्तर पूर्व और केरल में, उनका योगदान पुरुषों की तुलना में अधिक है। भारत में कृषि क्षेत्र के कुल कार्यबल का 75 प्रतिशत महिलाएं हैं। ग्रामीण भारत में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इनमें 33 प्रतिशत कृषक और 47 प्रतिशत कृषि श्रमिक शामिल हैं। भूमि अधिकार के बिना महिला कृषक नुकसान में हैं। वे कृषि में अवैतनिक श्रमिक के रूप में काम करती हैं और किसानों के रूप में उनकी गणना भी नहीं होती है। इसलिए वे क्रेडिट और अन्य लाभ लेने में असमर्थ हैं। मैरीलैंड विश्वविद्यालय और एनसीएईआर के शोध के अनुसार भारत में 42 प्रतिशत से अधिक कृषि कार्य करने वाली महिलाएं हैं, लेकिन उनमें 2 प्रतिशत से भी कम जमीन की मालिक हैं। देश में 83 प्रतिशत कृषि भूमि पुरुष सदस्यों को विरासत में मिली है, वहीं केवल 2 प्रतिशत महिला सदस्य को विरासत में जमीन मिली है। (आईएचएसडी सर्वेक्षण, 2018)। मकाम ने 2018 में मराठवाड़ा और विदर्भ के 11 जिलों में 505 महिला किसानों (जिनके पतियों ने आत्महत्या की है) के साथ एक अध्ययन में पाया कि 40 प्रतिशत महिला किसानों (जो 2012 से 2018 के बीच में विधवा हो गई हैं) को अभी तक खेती की जमीन का अधिकार नहीं मिला है। उनमें से केवल 35 प्रतिशत ने अपने परिवार के घरों के अधिकार सुरक्षित किए थे और 33 प्रतिशत को यह नहीं पता था कि वे पेंशन की हकदार थीं। महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों (कृषि मंत्रालय, कृषि आंकड़ों पर रिपोर्ट) की तुलना में 22 प्रतिशत कम भुगतान किया जाता है। एफएओ के अनुसार अगर महिला किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण, खेती के उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच हो, तो प्रति परिवार पैदावार 30 प्रतिशत बढ़ सकती है और देश कृषि उत्पादन में 2.5 से 4 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। उनकी कमाई वापस उनके घर में आने से गरीबी के दुश्चक्र को भी तोड़ने में मदद मिल सकती है।

जमीन के छोटे-छोटे हिस्सो में बंटने और जमीन से बेदखल होने के कारण किसानों की घटती संख्या और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बढ़ती संख्या भी चिंता का विषय बना हुआ है। एनएसएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्रति व्यक्ति खेती का रकबा (भूमिहीन सहित) 1971-72 में 1.53 हेक्टेयर था जो कि 2013 में घटकर 0.59 हेक्टेयर हो गया। 1992 से 2013 के बीच यह घटकर आधा हो गया। 92.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में खेती का रकबा 2 हेक्टेयर से भी

कम है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 1951 में 27.3 मिलियन थी जो 2011 में बढ़कर 144.3 मिलियन हो गई। सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (2011) के अनुसार 56.41 प्रतिशत ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। ग्रामीण भारत में भूमिहीन की संख्या 494.9 मिलियन है। भारत की जनगणना बताती है कि पिछले एक दशक में किसानों की संख्या में 8.6 मिलियन की गिरावट आई है, जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या में 37 मिलियन की वृद्धि हुई है। 4 दशकों में पहली बार ऐसा देखा गया है कि खेती से जुड़े कुल 263 मिलियन लोगों में से आधे से अधिक खेतिहर मजदूर हैं। आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि खेतिहर मजदूरों की दैनिक औसत कमाई में 2 दशकों (1993-94 से 2011-12) में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के किसान (141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 86 मिलियन हेक्टेयर) कई नुकसान झेलते हैं। भले ही वर्षा आधारित क्षेत्र देश की कृषि जीडीपी के मूल्य में 60 प्रतिशत का योगदान करते हैं, लेकिन सरकारी नीतियां और निवेश सिंचित क्षेत्रों के लिए पूर्वाग्रह से भरा होता है, जो कि किसानों की आय में भी परिलक्षित होता है।[2] सिंचित क्षेत्रों में किसान अपनी आय का 60 प्रतिशत कृषि से कमाते हैं, वहीं वर्षा आधारित क्षेत्रों के किसान खेती से 20-30 प्रतिशत कमाते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में औसत उपज लगभग 1.1 ट्रिलियन/ हेक्टेयर है जबकि सिंचित क्षेत्रों में यह 2.8 ट्रिलियन/हेक्टेयर है। बीज और उर्वरक सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी फ्लैगशिप सरकारी योजनाओं को सिंचित क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना वर्षा आधारित खेती के लिए भी उसे विस्तारित किया गया है। कई संकर बीजों के लिए पानी, उर्वरक और कीटनाशकों की बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए वे वर्षा आधारित कृषि वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं हैं। पर्याप्त पानी के बिना उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को खत्म कर देते हैं। नीतिगत पक्षपात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जहां सरकार ने 2003-04 से 2012-13 के दौरान एमएसपी में चावल और गेहूं की खरीद में 5,40,000 करोड़ रुपये खर्च किए, वहीं इसी अवधि के दौरान प्रमुख वर्षा आधारित फसलों जैसे मोटे अनाज की खरीद और दालों पर इसका खर्च 3,200 करोड़ रुपये था। इसी तरह के नीतिगत पूर्वाग्रह पशुपालन में भी मौजूद हैं। पशुपालन शुष्क भूमि कृषि का एक अनिवार्य घटक है। हालांकि, पशुपालन का ध्यान दूध केंद्रित है।

2 वर्षा आधारित क्षेत्रों में 89 प्रतिशत बाजरा उत्पादन, 88 प्रतिशत दालें, 73 प्रतिशत कपास, 69 प्रतिशत तिलहन और 40 प्रतिशत चावल उत्पादन होता है, और इस क्षेत्र में 64 प्रतिशत मवेशियों की आबादी भी है।

खेती योग्य 20 प्रतिशत रकबे पर बटाईदार खेती करते हैं। बटाईदारी भूस्वामी के साथ एक अनौपचारिक और पूर्वनिर्धारित समझौता है, जिसमें बटाईदार मालिक की जमीन पर खेती करता है और उसे उसके बदले कुछ हिस्सा मिल जाता है। कई राज्यों ने 1960 और 70 के दशक के दौरान बटाईदारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, यह अभी भी अनौपचारिक रूप में मौजूद है। बटाईदार संस्थागत ऋण, बीमा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का हकदार नहीं होते जिससे वह भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश करने का जोखिम नहीं उठा पाते हैं। भूमि मालिकों को बटाईदार के हाथ जमीन के अधिकार खोने का डर बना रहता है और इसलिए कई बार वे भूमि को परती छोड़ देते हैं। यह अनुमान है कि बटाईदारी की औपचारिकता न होने के कारण 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि परती है। नीति आयोग ने 2016 में एक मॉडल लैंड लीजिंग और टेनेंसी एक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसे केवल कुछ राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान) ने अपनाया। कई किसान संगठनों का आरोप है कि भूमि पट्टे पर लेना किसान विरोधी है और भूमिहीनों को भूमि वितरित करने में राज्य की विफलता का उदाहरण है। कुछ स्पष्टता का अभाव जैसे कि पट्टेदार, पट्टे की अवधि और भूमि के मोनोक्रॉपिंग/वृक्षारोपण के लिए इस्तेमाल होने की आशंका उन मुद्दों में से एक है, जिन्होंने राज्यों को संभवतः इस मॉडल अधिनियम को अपनाने से दूर रखा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। छोटे ग्रामीण परिवारों की आय में पशुधन का योगदान 16 प्रतिशत है, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों का औसत 14 प्रतिशत है । पशुधन ग्रामीण समुदाय के दो-तिहाई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यह भारत में लगभग 8.8 प्रतिशत आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। भारत में विशाल पशुधन संसाधन हैं। पशुधन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 4.11 प्रतिशत और कुल कृषि जीडीपी में 25.6 प्रतिशत का योगदान है। पशुधन का प्रयोग दूध, मांस और अन्य उत्पादों के उत्पादन में होता है। पशुधन का वितरण, भूमि के वितरण से अधिक न्यायसंगत है। पशुधन उत्पादन में तीन-चौथाई से अधिक श्रम महिलाओं द्वारा किया जाता है। पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार का हिस्सा पंजाब और हरियाणा में लगभग 90 प्रतिशत है, जहां डेयरी रोजगार का एक प्रमुख साधन है। हालांकि, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पशुधन, किसानों/चरवाहों और ग्रामीण लोगों को कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। पशु चिकित्सा और प्रजनन केंद्र, चारा और पानी, घटते चारागाह और संस्थागत ऋण

व बीमा कवरेज की कमी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव किसानों को पशुपालन के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं।

हालांकि किसानों, खासकर आदिवासी किसानों का एक तबका वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को खत्म करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन किसानों ने परंपरागत रूप से वन भूमि का दोहन किया है और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर दावा बना रखा है। भारत की जनजातीय आबादी कृषि और वन-संबंधी आजीविका के स्रोतों पर निर्भर है। जबकि 43 प्रतिषत गैर-आदिवासी कृषि पर निर्भर हैं। 66 प्रतिशत आदिवासी आबादी इन प्राथमिक क्षेत्र के आजीविका स्रोतों पर जीवित रहती है, लेकिन हाल के दशकों में आदिवासी किसानों की संख्या कम हो रही है और अधिक कृषि मजदूर बन रहे हैं। पिछले एक दशक में 3.5 मिलियन आदिवासियों ने खेती और अन्य संबंधित गतिविधियों को छोड़ दिया है। 2001 और 2011 की जनगणना रिपोर्टों को देखें तो आदिवासी कृषकों की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी आई जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (डीटीई, नवंबर 2018)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जनजातीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 प्रतिशत आदिवासी आबादी अब आदिवासी गांवों और क्षेत्रों से बाहर रहती है, जो एक चिंताजनक स्थिति है।

हालिया प्रयास और नीतिगत दबाव

भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण संकट को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें कृषि मंत्रालय को कृषि और किसान कल्याण का नाम देना, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, फसल बीमा योजनाओं, रुपये के हस्तांतरण, लघु और सीमांत किसानों के बैंक खाते में 6000 प्रति वर्ष, 50 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, eNAMs और 'ग्राम' की स्थापना, 99 बड़ी अधूरी नहर परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना कुछ प्रमुख पहल हैं। इसके साथ ही, अनाज, दूध, फल और सब्जियां और मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। फिर भी ग्रामीण और कृषि संकट निरंतर जारी है, बेरोजगारी की दर अधिक है और किसानों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि जारी है।

कृशि क्षेत्र के कुछ प्रमुख पहलों का संक्षिप्त सारांष नीचे दिया गया है -

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

इस योजना को 2015 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य तीन साल में एक बार सभी किसानों को उनकी पसंद की छः फसलों के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। इस कार्ड से किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित जानकारी भी देता है। हालांकि योजना का वितरण असमान रहा है। इस योजना की पहुँच छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, और राजस्थान जैसे कुछ राज्य में 95 प्रतिशत किसानों तक रही है, वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्य में 50 प्रतिशत से नीचे है।

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना

पांच साल के लिए 50,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 जुलाई 2015 को इस योजना को लागू किया गया। इसके तहत 99 परियोजनाओं की पहचान की गई जो लगभग २ दशकों से अधूरी पड़ी थीं। दिसंबर 2018 तक इस मद में 9050 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ। अधिकांष परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

एमएसपी को बजट 2017 में उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तक बढ़ाया गया जबकि किसान संगठन एमएसपी के निर्धारण में सी2 पद्धति की मांग कर रहे हैं जिसमें उत्पादन लागत में भूमि, किराया, पर्यवेक्षण और प्रबंधकीय लागत शामिल हैं। सरकार A2 + FL विधि का इस्तेमाल कर रही है। इसमें वास्तविक भुगतान किए गए लागतों के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अनुमानित मूल्य का उपयोग करना, जो किसानों को संतुष्ट करने में विफल रहा। साथ ही एमएसपी से केवल कम संख्या में किसानों (लगभग 6 प्रतिशत) को लाभ होता है।

नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (eNAM)

इस योजना को अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में मौजूदा APMC मंडियों को एक एकल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जोड़ना है, जहां खेती से जुड़े उत्पादों का कारोबार किया जाता है। यह सभी एपीएमसी से संबंधित जानकारी के लिए एक एकल विंडो प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब तक, 16 राज्यों की 585 मंडियां और 2 केंद्र शासित प्रदेश पंजीकृत हुए हैं। कई राज्यों ने अभी तक इस पोर्टल से

जुड़ने के लिए अपने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन नहीं किया है। यह छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर है। साथ ही इसकी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण कृषि बाजार (GRAM)

वैसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो सीधे APMCs में लेन-देन नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 22,000 छोटे गाँव के बाजारों को ग्रामीण कृषि बाजारों में अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा। भौतिक बुनियादी ढांचे को मनरेगा के माध्यम से उन्नत किए जाने का लक्ष्य है और इसके लिए 55,000 करोड़ के आवंटन का प्रावधान है। APMC नियमों से छूट पाने के बाद, ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधे बेचने में मदद कर सकता है। हालांकि अधिकांश ग्रामीण हाट साप्ताहिक या दो सप्ताह में एक बार लगते हैं जिससे किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। मनरेगा की अधिकांश धनराशि श्रम भुगतान में जा रही है, शायद ही बुनियादी ढांचे में इससे कोई सुधार हो।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इसका उद्देश्य फसल नुकसान से पीड़ित किसानों को मुआवजा प्रदान कर स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। प्रीमियम कम करने और अधिक फसलों को कवर करने से ज्यादातर किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। 2013-14 में इसका कवरेज 23 प्रतिशत था जो कि 2016-17 से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया। हालांकि यह योजना 50 प्रतिशत कवरेज के अपने लक्ष्य से पीछे है और 2017-18 में यह 26 प्रतिशत तक सिमट गया है। बीमा का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड की कमी है। इसके अलावा मुआवजा अक्सर देरी से और अपर्याप्त मिलता है। यहां तक कि कई बार इनकार भी किया जाता है। किसान संगठनों का यह भी आरोप है कि इस योजना से बीमा कंपनियों को ज्यादा, किसानों को कम मदद पहुंची है क्योंकि बीमा भुगतान आमतौर पर जमा किए गए प्रीमियम का एक तिहाई होता है।

निष्कर्ष

सतत् विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला किसान और खेतिहर मजदूर सहित दुनिया भर के छोटे किसान बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं। बहुत सारे मामलों में राष्ट्रीय नीतियां, विनियम और राजकोषीय प्रोत्साहन छोटे किसानों की समृद्धि और स्थितियों में बेहतर बदलाव के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। इनमें कृषि और भूमि सुधारों के लिए सरकार की प्राथमिकता में कमी, सार्वजनिक सब्सिडी और वित्तपोषण की कमी, गैर पर्यावरणीय खेती को बढ़ावा देना, बड़े किसानों का पक्ष लेना और खाद्य व कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेष के बजाय औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढाँचे में निवेश करना शामिल हैं। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट (2016) में कहा गया है, 'हालांकि छोटे रकबे वाले किसान को अक्सर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में माना जाता है, इनमें शायद ही कोई नीतिगत और संस्थागत समर्थन का लाभ लिया हो, जिससे छोटे शेयरधारकों और ग्रामीण अर्थशास्त्र को पनपने दिया जा सके।' राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर बेहतर सार्वजनिक प्रशासन और जवाबदेही से ही किसानों के सन्दर्भ में कोई भी पीछे न छूट पाए के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। भारत को एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत के किसान वित्तीय स्थिरता और बदलाव के लिए लचीलापन प्राप्त करें।

***

संदर्भ:

- https://thediplomat.com/2017/02/indias-bitter-seeds-the-plight-of-small-farmers/
- http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/
- https://www.indiatoday.in/magazine/the-big-story/story/20190422-problem-of-plenty-agriculture-1499380-2019-04-12
- https://www.downtoearth.org.in/news/farmers-have-decreased-farm-labourers-increased-census-report--40940
- https://www.thehindubusinessline.com/economy/paltry-wage-rise-leaves-farm-workers-wilted/article26240470.ece
- https://www.firstpost.com/india/indias-landless-poor-amid-rising-rural-poverty-and-lower-access-to-land-empowering-this-group-must-be-priority-5338711.html
- https://www.fiinovation.co.in/female-participation-in-agriculture-in-india/
- https://www.downtoearth.org.in/blog/agriculture/the-invisibility-of-gender-in-indian-agriculture-63290
- https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/rainfed-farmers-are-the-most-neglected/article26272190.ece
- https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/gom-set-up-to-resolve-land-leasing-issues/articleshow/72215571.cms
- https://in.reuters.com/article/india-landrights-lawmaking/liberalised-land-leasing-laws-fail-poor-indian-farmers-say-activists-idINKCN1G50UL
- https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/09/LNOB_Chapter4.pdf
- https://www.downtoearth.org.in/news/health/more-than-50-of-india-s-tribal-population-has-moved-out-of-traditional-habitats-62208

CECOEDECON

The **Centre for Community Economics and Development Consultants Society (CECOEDECON)** is one of Rajasthan's leading civil society organizations. It's early footprints in the area of disaster relief have eventually progressed into imprinting its presence in more than 15 districts across the states of Rajasthan and Madhya Pradesh.

For over three decades the organization has worked towards promoting Inclusion, making Communities Resilient, Empowering Women, Children, Farmers and others at the society's margins including Scheduled Castes and Scheduled Tribes through its innovative interventions ranging from Natural Resource Management, Sustainable Rural Livelihoods, Climate Change, Fair Trade, Institution Development, Seed Sovereignty, Land Rights, health, nutrition, Education and Human Rights.

MAUSAM

Movement for Advancing Understanding on Sustainability And Mutuality (MAUSAM) is a coalition of more than 40 organizations and networks working on the issues of sustainable development, environment, sustainable agriculture etc. We have been extensively engaged with India's response to Climate Crises, Demestic Action and its position in International negotiation process under the United Nations Framework Convention on Climate Change. We Have tried to attract global attention on due consideration of agriculture and food security in climate change negotiations, state responsibility and accountability for climate justice.

Organizations and networks part of the MAUSAM bring with them varying experiences and expertise ranging from grassroots works with farmers and peasant communities to engaging with policy makers and the polity through policy analysis, advocacy and lobbying, engaging with the media through the sensitization and orientation; and undertaking documentation and scientific exploration in climate change, sustainable agriculture and food security. The focus of the work emanates from the understanding that there is an urgency to work in a collaborative action on climatee change and climate justice issues. The collective purpose is to address these issues through a variety of actions at local, state/provincial, national and global levels.

PAIRVI

Public Advocacy Initiatives for Rights and Values in India (PAIRVI) is a capacity building and advocacy support organization working at the intersections of rights, development and sustainability. It works with small grassroots organizations and community based groups to enhance their understanding on development discourse and capacity to respond appropriately. PAIRVI also works with a pan Indian Coalition on climate and environmental justice, MAUSAM (Movement for Advancing Understanding on Sustainability And Mutuality).